न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 717/2024

अनवान : –

1. रांजेदर कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. नरेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. विक्रम सिंह पुत्र हनुमान प्रसाद जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पार्वती पत्नी शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. शनि कुमार पुत्र शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सुदेश पुत्री शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. ममता पुत्री शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. पूजा पुत्री शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. लाली पुत्री हनुमान प्रसाद जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. विमला पुत्री हनुमान प्रसाद जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 28/28 की कुल 3.6170 हैक्ट भूमि कुम्भला पुत्र भिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भला पुत्र भिराज के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। कुम्भला पुत्र भिराज का स्वर्गवास हो चुका है तथा कुम्भला पुत्र भिराज के दो पुत्र हनुमान प्रसाद व बनवारी लाल भी फौत हो चुके है तथा उनकी धर्मपत्नी का भी देहांत हो चुका है एवं हनुमान प्रसाद के एक लड़का शिवशंकर भी फौत हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस है। कुम्भला पुत्र भिराज के जायज [illegible] दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकार[illegible] संख्या 8 ता 9 जो की [illegible]दी संख्या 1 की बहिन है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 जो की बुआ व ननद है। प्रतिवादीगण संख 8, 9 व 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 7 ने उक्त वादग्रस्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण लाजबंती देवी, बनवारी लाल, शिव शंकर, व कुम्भाराम की मृत्यु के संबंध मं तस्दीक पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहीराम पुत्र चन्दु उर्फ चन्दुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। सहीराम पुत्र चन्दु उर्फ चन्दुराम का स्वर्गवास हो चुका है सहीराम पुत्र चन्दु उर्फ चन्दुराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। सहीराम के एक एक पुत्र रामकुमार का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतवादी संख्या 6 ता 11 है एवं विमला पुत्री रामकुमार का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 है तथा रणजीत पुत्र बन्ताराम लावल्द फौत हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई ह[illegible] है इन्होने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में [illegible] है [illegible] संख्या 8 ता 13 ने भी अपना समस्त हक हिस्सा अपने भ[illegible] त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 14, 15 व 17 ने अपना समस्त हक हिस्सा अ[illegible] पुत्र/भाई के पक्ष मे त्याग कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाद हक त्याग भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या प्रत्येक 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 16 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 28/28 की कुल 3.6170 हैक्ट भूमि कुम्भला पुत्र भिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भला पुत्र भिराज के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। कुम्भला पुत्र भिराज का स्वर्गवास हो चुका है तथा कुम्भला पुत्र भिराज के दो पुत्र हनुमान प्रसाद व बनवारी लाल भी फौत हो चुके है तथा उनकी धर्मपत्नी का भी देहांत हो चुका है एवं हनुमान प्रसाद के एक लड़का शिवशंकर भी फौत हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस है। कुम्भला पुत्र भिराज के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 9 जो की प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 जो की बुआ व ननद है। प्रतिवादीगण संख 8, 9 व 4 ता 7 ने उक्त वादग्रस्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार मृतक कुम्भाराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 28/28 की कुल 3.6170 हैक्ट भूमि कुम्भला पुत्र भिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कुम्भला पुत्र भिराज का नाम कलमजन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 717/2024
अनवान : –

1. रांजेदर कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. नरेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. विक्रम सिंह पुत्र हनुमान प्रसाद जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पार्वती पत्नी शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. शनि कुमार पुत्र शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सुदेश पुत्री शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. ममता पुत्री शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. पूजा पुत्री शिव शंकर जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. लाली पुत्री हनुमान प्रसाद जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. विमला पुत्री हनुमान प्रसाद जाति वाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 717 सन 2024 निर्णय दिनांक –07/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 28/28 की कुल 3.6170 हैक्ट भूमि कुम्भला पुत्र भिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कुम्भला पुत्र भिराज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर